अध्याय 18

स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान

स्थानीय निकायों की मूलभूत सेवाओं, बुनियादी ढाँचे और वित्त को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य की समेकित निधि से सहायता अनुदान के रूप में वित्त पोषण के लिए कुछ क्षेत्रों की पहचान की गई है। यद्यपि मात्रात्मक रूप में सहायता अनुदान बहुत कम हैं, परन्तु स्वशासन की गुणवत्ता में अंतर लाने के लिए इनमें बड़ी क्षमता है। पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसाओं को अलग-अलग समूहीकृत किया गया है।

18.1 पंचायती राज संस्थाओं को सहायता अनुदान

1. आयोग की अनुशंसा है कि अनुसूची V के क्षेत्र की 5050 ग्राम पंचायतों की मूलभूत सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए रू. 5 लाख का वार्षिक सहायता अनुदान अधिनिर्णय अवधि में दिया जाए।

2. आयोग की अनुशंसा है कि सभी 146 जनपद पंचायतों को अधोसंरचना विकास के लिए रू. 20 लाख का वार्षिक सहायता अनुदान अधिनिर्णय अवधि में दिया जाए। 75 प्रतिशत सहायता अनुदान अधोसंरचना संबंधी कार्यों के लिए एवं 25 प्रतिशत सहायता अनुदान स्थानीय आवश्यकताओं के लिए अनाबद्ध रखा जाए। राज्य सरकार अनाबद्ध सहायता अनुदान के लिए उचित दिशा-निर्देश जारी करे।

3. आयोग की अनुशंसा है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि में ग्राम पंचायतों द्वारा सामुदायिक पेयजल शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना किए जाने की स्थिति में लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाए। इस संबंध में भुगतान की प्रक्रिया हेतु शर्तों का निर्धारण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाए।

4. आयोग की अनुशंसा है कि महिला सशक्तिकरण हेतु ग्राम पंचायत के कुल पदों के दो तिहाई या उससे अधिक पदों पर महिलाओं के निर्वाचन की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत को रू. 5.00 लाख का विशेष अनुदान दिया जाए।

18.2 नगरीय स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान

1. सर्वोत्कृष्ट कार्य निष्पादन पर पुरस्कार

नगरीय स्थानीय निकायों को अच्छे कार्य निष्पादन के लिए प्रोत्साहन स्वरूप निम्नुनसार नगद पुरस्कार दिये जाने की अनुशंसा की जाती है :-

क. कार्य निष्पादन के आधार पर एक पुरस्कार निम्न विषय पर रहेगा (वर्ग-I) -

- *स्वयं के स्रोत से अतिरिक्त आय का अर्जन (भूमि के विक्रय को छोड़कर) इसकी गणना पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष में प्राप्त की गई उपलब्धि पर आधारित होगा।*
- *लेखा संधारण जिसमें परिसंपत्तियों के रजिस्टर को अद्यतन रखना शामिल रहेगा।*
- *उत्पादक कार्यों हेतु निर्धारित समय पर कोष का उपयोग।*

ख. निम्न क्षेत्रों में एक पुरस्कार सुविधाओं के प्रदाय के स्तर पर आधारित होगा (वर्ग-II) :-

- *स्वच्छता*
- *सड़क बत्ती*
- *गंदे पानी का निकास*

- ठोस अपशिष्ट का निराकरण
- सार्वजनिक स्थलों का रख-रखाव

पुरस्कारों हेतु राशि की आवश्यकता

(लाख रूपये में)

नगरीय स्थानीय निकाय	**राज्य स्तरीय पुरस्कारों की संख्या**	**पुरस्कार की राशि**	**कुल राशि**
नगर पालिक निगम	वर्ग - I - 1 वर्ग - II - 1	20.00 20.00	40.00
नगर पालिका परिषद	वर्ग - I - 3 वर्ग - II - 3	15.00, 10.00, 5.00 15.00, 10.00, 5.00	60.00
नगर पंचायत	वर्ग - I - 3 वर्ग - II - 3	10.00, 7.50, 5.00 10.00, 7.50, 5.00	45.00
		योग	**145.00**

नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत का पुरस्कारों हेतु चयन राज्य शासन द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा।

2. आयोग अनुशंसा करता है कि महिला सशक्तिकरण हेतु नगर पंचायत के कुल पदों के दो तिहाई या उससे अधिक पदों पर महिलाओं के निर्वाचन की स्थिति में ऐसी नगर पंचायत को रू. 5.00 लाख का विशेष अनुदान दिया जाए।

N. Gupta
(नरेश चन्द्र गुप्ता)
सदस्य
तृतीय राज्य वित्त आयोग,
छत्तीसगढ़

(चन्द्रशेखर साहू)
अध्यक्ष
तृतीय राज्य वित आयोग,
छत्तीसगढ़

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆